रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2015/पौष 19, 1936
No. 17] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2015/PAUSA 19, 1936

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 19(अ).—कोयला खान भविष्य निधि संगठन में आयुक्त के पद को 20 जून, 2015 से संयुक्त सचिव के स्तर में उन्नयन कर दिया गया है तथा उन्नयन को देखते हुए कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त भर्ती नियम, 1994 निष्प्रभावी हो गया है।

अब, अत: कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) के खंड 3ग के उप-खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1994 के सा.का.नि. 285 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र असाधारण के भाग–II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित उपर्युक्त पद की नियुक्ति की पद्धति को विनियमित करने वाले भर्ती नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है; इस प्रकार के निरस्तीकरण से इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व उक्त नियमों के अधीन किए गए अथवा समाप्त किए जाने वाले प्रावधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 20/6/2004-पीआरआईडब्ल्यू/एएसओ (भाग–II)]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2015

G.S.R. 19(E).—Whereas the post of Commissioner in the Coal Mines Provident Fund Organisation has been upgraded in the level of Joint Secretary with effect from the 20th June, 2005 and in view of the upgradation, the Coal Mines Provident Fund Commissioner Recruitment Rules, 1994 have become redundant;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3C of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby rescinds the recruitment rules regulating the method of appointment to the above post published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 285(E), dated the 21st February, 1994, with immediate effect; such rescission shall not affect anything done or omitted to be done under the said rules before the publication of this notification.

[F. No. 20/6/2004-PRIW/ASO (Part II)]
A. K. BHALLA, Jt. Secy.

138 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.